

न न
विक्रम
जोर
था
की
नशा
अन्य
में
पी
नार
रूढ़
शा
न
ने
ने
हा
ये
गे.
र
न
री
न्य
औ
नी

श
वा
22
मार
26
देश
ना
था,
क
1.5
पूरी
ला
थत
तार
री.

के
रौर
एक
या
की
के
यी
न
ह
ना
न
ह
य
री
श
न
गे
ने
ने



बिक्की की घोषणा

वसूली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, झारखण्ड

फॉर्म सं. 22 [विविध 37(1) देखें]

वसूली प्रक्रिया सं. 364/2023 वाद सं. ओ. ए. वाद सं. 254/2022

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए बकाये ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्की की घोषणा

यूको बैंक, झुमरीतिलैया शाखा, कोडरमा बनाम प्रियंका देवी

सेवा में,
(1). प्रियंका देवी, पति स्व. अनिल कुमार तथा सह-उधारकर्ता, R/o - 93 B, गौरी शंकर मोहल्ला, दुर्गा मंडप के निकट, थाना - झुमरीतिलैया, जिला - कोडरमा - 825409

1. जबकि आप प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान करने योग्य ब्याज एवं लागत सहित पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची द्वारा जारी किये 2022 का ओ.ए. वाद सं. 254 में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके द्वारा भुगतान रु. 32,07,348.70 (रुपये बत्तीस लाख सात हजार तीन सौ अड़तालीस और सत्तर पैसा मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

2. और जबकि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में नीचे के अनुसूची में उल्लेखित संलग्न संपत्ति की बिक्की का आदेश दिया है।

3. तथा जबकि दिनांक 24.06.2026 तक उक्त प्रमाणपत्र के अंतर्गत रु. 32,07,348.70 (रुपये बत्तीस लाख सात हजार तीन सौ अड़तालीस और सत्तर पैसा मात्र) देय होगा, जमा ही 01.06.2022 से दावे की पूर्ण एवं अंतिम वसूली तक 7.65% प्रतिवर्ष की दर से मासिक विश्राम के साथ वाद लंबित अवधि एवं भावी ब्याज तथा रु. 35,005/- (रुपये पैंतीस हजार पांच मात्र) की लागत, प्रमाणपत्र के अनुसार देय होगी।

4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, स्थगन के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, उक्त संपत्ति को 09.09.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ बैसाइट <https://www.baanknet.com> (PSB Alliance Private Limited) के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" से ई-नीलामी और बोली द्वारा बेचा जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें : वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची. संपर्क सं. 065-224021 एवं सम्पत्ति निरीक्षण के लिये श्री प्रकाश महतो, शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, झुमरीतिलैया शाखा, कोडरमा, मोबाइल संख्या: 7355573767 से संपर्क करें।

4.1 नीचे वर्णित अनुसूची में उपरोक्त नाम वाले प्रमाणपत्र देनदार की संपत्ति बेची जायेगी और उक्त संपत्ति से जुड़े हुए दायित्व और दावे जो कि सुनिश्चित किये गये हैं उनका विवरण अनुसूची में प्रत्येक लॉट के समक्ष वर्णित है।

4.2 अनुसूची में वर्णित लॉट के अनुसार संपत्ति की बिक्की की जायेगी। यदि संपत्ति की एक अंश की बिक्की से होने वाली वसूली राशि से संतुष्टि होती है बाकी संपत्ति की बिक्की तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्की तब भी रुक जायेगी यदि किसी लॉट में नीलामी बोली खत्म होने के संकेत होंगे, उक्त में वर्णित बकाया, ब्याज, लागत (बिक्की की लागत समेत) बिक्की संचालित करने वाले पदाधिकारी के समक्ष जमा कर दिये जाये या उनकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाणित कर दिया जाये कि उस सर्टिफिकेट की राशि, ब्याज और लागत का भुगतान अद्योहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

4.3 बेची जानी वाली संपत्ति पर अन्य व्यक्ति के किसी भी अधिकारी या जो बिक्की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाने, अधिग्रहण का प्रयास करने का सरोकार नहीं है। यह बिक्की आयकर अधिनियम, 96 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों के तहत और इसके बाद के नियमों के अधीन होगी।

4.4 अद्योहस्ताक्षरी के श्रेष्ठ सूचना के अनुसार उल्लेखित अनुसूची में विवरणों को शामिल किया गया है लेकिन किसी प्रकार की त्रुटि, गलत विवरण या इस घोषणा में किसी तथ्य के चूक के लिए अद्योहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होगा।

5. (ए) विवरण के अनुसार आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी।

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
अनुसूची 'A'		
विक्रय विलेख सं. 2765/2726 दिनांक 30.05.2003 के माध्यम से अर्जित भूमि के सभी भाग, जो खाता सं. 70, प्लॉट सं. 7442, क्षेत्रफल - 915 वर्ग फुट, मौजा - तिलैया, थाना - तिलैया, थाना सं. 244, जिला - कोडरमा में स्थित है। चौहद्दी इस प्रकार है : उत्तर: दुर्गा मंडप एवं सामान्य सड़क, दक्षिण: 1.5 फीट सामान्य नाली एवं कच्ची सड़क, पूर्व: निज भूमि, पश्चिम: निज भूमि	रु. 53,39,250/-	रु. 5,33,925/-

6. इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी जमा करने की आवश्यकता होगी साथ में पैन कार्ड, पहचान पत्र, पता के लिए प्रमाणपत्र इत्यादि जमा करना होगा और कंपनी होने पर, बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि या कंपनी के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाला कोई भी अन्य दस्तावेज/ कंपनी का अटॉर्नी भी जमा करना होगा, इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में अद्यतन 07.09.2026 को 04:00 बजे तक या इससे पहले तक जमा करना है और उसके बाद वे 09.09.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। यदि नीलामी के अंतिम समय में अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

7. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के खाते में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFS कोड - SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र के साथ ईएमडी की रसीद वसूली अधिकारी के कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पांचवी मंजिल, आर.आर.डी.ए. बिल्डिंग, कचहरी चौक, रांची में जमा की जाएगी।

8. बोलीदाता को आरक्षित मूल्य से कम से कम एक बोली अधिक लगानी होगी।

9. वह राशि जो बोली लगाने के लिए बढ़ाई जाएगी अनुसूची 'A' के लिये रु. 1,00,000/- होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के रूप में उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद की स्थिति में लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा।

10. असफल बोलीकर्ता ई-नीलामी की प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद ईएमडी राशि कार्यालय, वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

11. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली/ बिक्की राशि के 25% "वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची" के पक्ष में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFS कोड - SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची में देय होगा। इसे अगले बैंक कार्य दिवस यानि. शाम 04:00 बजे तक इस ट्रिब्यूनल के पास जमा करना होगा। इसमें विफल रहने पर ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

12. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्की राशि का शेष 75% वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची के पक्ष में डिमांड ड्राफ्टे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। इसे संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले "वसूली अधिकारी, डीआरटी, रांची" के पक्ष में RTGS/ NEFT/ EFT द्वारा चालू खाता सं. 31598921087, IFS कोड - SBIN0007507, भारतीय स्टेट बैंक, इंदरपुरी शाखा, रांची में देय होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन होता है तो इस दिन को छोड़कर 5वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस में रु. 1000/- तक 2% की दर से और रु. 1,000/- के उपर कुल राशि 1% की दर से पाउंडेज रजिस्ट्रार, डीआरटी, रांची के पक्ष में जमा करना है। (डाक के माध्यम से शेष 75% राशि जमा करने के मामले में, उपरोक्त के अनुसार वसूली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए)।

13. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने के स्थिति में, बिक्की की नयी घोषणा जारी होने के उपरान्त, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। बिक्की का खर्च निकालने के बाद, यदि अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा जब्त कर सरकार के पास जमा कर सकते हैं तो चूक करने वाले क्रेता को उस राशि के किसी भी हिस्से के लिए सभी दावे खारिज हो जायेंगे जिसके की इसको बाद में बेचा जाएगा।

14. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली लगाई गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। इस उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करने का निर्णय अद्योहस्ताक्षरी का होगा, जबकि पेश कि गई कीमत इतनी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है कि ऐसा करने के लिए उसे अनुपयुक्त बना दिया जाए।

15. संपत्ति जैसी है और जहाँ है/ जो है/ बिना शिकायत के आधार पर बेची गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है/ आगाह किया जाता है कि वे SRO के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों को सत्यापित करें और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति, विवरण, स्थिति, आदिभार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में खुद को संतुष्ट करें। सरकार/स्थानीय निकाय को देय सांविधिक देय/दायित्व आदि, यदि कोई हो, जो बिक्की सूचना/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए हैं, क्रेता(ओं) द्वारा वहन किए जाएंगे।

16. कच्चे की सुपुर्दी : नीलामी क्रेता सभी खर्चों और प्रासंगिक शुल्कों को वहन किया जाएगा। प्रमाणपत्र धारक बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बिक्की आय के विनियोग के अनुरोध पर केवल क्रेता द्वारा स्वामित्व विलेख प्राप्त करने और संपत्ति का कब्जा देने का मेमो दखिल करने पर ही विचार किया जाएगा।

17. अद्योहस्ताक्षरी किसी एक या सभी बोली को यदि अनुचित पाया गया तो स्वीकार/अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण के मुहर से रांची में 24 जून, 2026 को जारी।

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

वसूली अधिकारी-II